रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266737
CG-DL-E-07102025-266737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

फा. सं. 47/6/2023-आर एंड आर.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 89(1) के साथ पठित धारा 76(6) के अनुसार, राष्ट्रपति एतद्वारा एनएचपीसी लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री राज कुमार चौधरी को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 17 में, दिनांक 22.09.2025 से 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

F. No. 47/6/2023-R&R.— In terms of section 76 (6) read with section 89(1) of the Electricity Act, 2003, the President hereby appoints Shri Raj Kumar Chaudhary, former Chairman and Managing Director, NHPC Ltd., as Chairperson of the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh, in level 17 of the pay matrix, w.e.f. 22.09.2025, for a period of 05 years or, till attaining the age of 65 years or, until further orders, whichever is the earliest.

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.